अध्याय -10

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अध्याय 10

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

10.1 अनुश्रवण

किसी भी योजना की सफलता के लिए प्रभावशाली अनुश्रवण आवश्यक है क्योंकि यह उचित आश्वासन प्रदान करता है कि कार्यान्वयन प्रभावशाली एवं क्षमतापूर्वक तरीके से किया जा रहा है। निरीक्षण के साथ, बाह्य क्षेत्र दौरा और नमूना जाँच भी अधिनियम के अनुसार नियमित आधार पर योजना के व्यापक एवं निरंतर आकलन के लिए आवश्यक है। अभिलेखों का उचित रख-रखाव भी योजना के कार्यान्वयन में, विशेषत: पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए, एक आलोचनात्मक सफलता के घटकों में से एक है।

हालांकि, योजना के प्रावधान के विपरीत, हमने पाया कि अनुश्रवण प्रणाली राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अनियमित एवं अपर्याप्त थी। योजनाओं के लेखा परीक्षा के दौरान अनेक कमियाँ पायी गई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

10.1.1 कार्यों का निरीक्षण

परिचालन मार्गदर्शिका, 2008 की कंडिका 10.3 के अनुसार राज्य, जिला और प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यों का क्षेत्र स्तर पर, क्रमश: 2, 10 और 100 प्रतिशत आंतरिक सत्यापन किया जाना चाहिए।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि.का.स.) द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार छ: नमूना जाँच किये गये जिलों में से पाँच[1] के संबंध में राज्य के द्वारा कार्यों का निरीक्षण की स्थिति का विस्तृत विवरण **तालिका 15** में दी गई है।

तालिका 15: 2007-12 की अवधि के दौरान राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तर के प्राधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण

राज्य स्तरीय अधिकारी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया जबकि प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण में 42 प्रतिशत की कमी पायी गई

वर्ष	कुल स्वीकृत कार्य	कार्यों का निरीक्षण					
		राज्य स्तर		जिला स्तर		प्रखण्ड स्तर	
		अपेक्षित	संचालित	अपेक्षित	संचालित	अपेक्षित	संचालित
2007-12	1,86,809	3,736	शून्य	18,680	31,087	1,86,809	1,08,052
कमी (प्रतिशत में)		अनुपलब्ध		शून्य		42	

(स्रोत- जि. ग्रा.वि. अ.)

जैसा कि ***तालिका-15*** में देखा जा सकता है, अवधि 2007-12 के दौरान राज्य स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण 'शून्य' था चूँकि जिलों के पास राज्यस्तरीय

[1] दुमका, पाकुड़, पलामू, राँची और पश्चिमी सिंहभूम

अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों के संबंध में कोई सूचना नहीं थी जबकि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित निरीक्षण आवश्यकता से ज्यादा बतायी गई थी। यद्यपि, प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों में 42 प्रतिशत की कमी थी।

हमने पाया कि जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर किये गये निरीक्षणों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। अत: निरीक्षणों की प्रभावशीलता को, प्रलेखित निर्देशन एवं उसमें अनुवर्त्ती कार्रवाईयों के अभाव में, आंका नहीं जा सकता।

जि.का.स.राँची ने कहा (सितम्बर 2012) कि निरीक्षण किये गये हैं लेकिन निरीक्षणों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। जि. का. स. पाकुड़, दुमका और गुमला ने लेखा परीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया।

10.1.2 राज्य एवं जिला गुणवत्ता अनुश्रवक

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 की कंडिका 10.3.2, राज्य एवं जिला गुणवत्ता अनुश्रवक, जो शिकायत निवारण तथा सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक तंत्र है, गुणवत्ता एवं पारदर्शी अनुश्रवण व्यवस्था के लिए, की नियुक्ति को परिकल्पित करता है।

राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक (रा.गु.अनु.) एवं जिला स्तर पर जिला गुणवत्ता अनुश्रवक (जि.गु.अनु.) को राज्य सरकार के अनुमोदनोंपरांत, गुणवत्ता अनुश्रवण के लिए नामित किये जाने थे।

गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण के लिए रा.गु.अनु. और जि.गु.अनु की नियुक्तियाँ राज्य एवं जिला स्तर पर नहीं किये गये थे

हालांकि हमने पाया कि रा.गु.अनु. और जि.गु.अनु की नियुक्ति राज्य एवं जिला स्तर पर जुलाई 2012 तक नहीं की गयी थी। रा.गु. अनु. और जि. गु.अनु की अनुपस्थिति में, सृजित परिसंपतियों के नियमित अनुश्रवण एवं गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को संबोधित नहीं किया जा सका क्योंकि लेखापरीक्षा दल ने नमूना जाँच किये गये जिलों में निम्न स्तरीय कार्यों के मामलों को पाया (संदर्भ कंडिका 7.1.3)

निकास बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने तथ्यों को स्वीकारा (जुलाई 2012) तथा रा.गु.अनु. और जि.गु.अनु की शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया।

10.1.3 शिकायतों का धीमा निपटान

मनरेगा के अधिनियम की धारा 23(6) के अनुसार, कार्यक्रम पदाधिकारी एक शिकायत पुस्तिका का संधारण करेगा जिसमें प्रत्येक शिकायत को दर्ज करेगा तथा विवादों एवं शिकायतों का निपटारा प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर करेगा। हालांकि राज्य सरकार ने जुलाई 2010 में शिकायतों के निपटान के लिए अधिकतम एक माह की समय सीमा तय की थी। इनसे संबंधित अवलोकन निम्न है:

- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-12 के दौरान प्राप्त 964 शिकायतों में

दर्ज किये गए 964 शिकायतों में केवल 150 शिकायतों (16 प्रतिशत) का निपटान वर्ष 2007-12 के दौरान किया गया

से एक वर्ष में (मार्च 2012) केवल 150 (16 प्रतिशत) शिकायतों का ही निष्पादन किया गया था। विलम्ब से निष्पादन के कारण अभिलेखित नहीं थे।

- राँची जिले में, मई 2009 से जुलाई 2010 के दौरान मनरेगा योजना एम.आई.एस में जिले के 13 प्रखण्डों में 91 शिकायतें दर्ज की गई थी। शिकायतों के निष्पादन हेतु निर्धारित सात से 30 दिनों की अवधि के विरूद्ध 25 दिनों से लेकर एक से अधिक वर्ष तक का विलम्ब हुआ।

  जि.का.स. राँची ने अवलोकनों को स्वीकार किया तथा कहा (सितम्बर 2012) कि संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है। दूसरे जिलों में शिकायत पुस्तिका संधारित नहीं पाया गया।

- 19 मई 2012 को पंचायत समिति प्रमुख की अध्यक्षता में पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर प्रखण्ड में जन-सुनवाई का आयोजन किया गया था। जन-सुनवाई में पंचायत समिति के प्रतिनिधियों तथा प्रखण्ड के कर्मचारियों ने भाग लिया। हालांकि हमने, पाया कि ग्रामीणों के शामिल हुए बिना जन-सुनवाई पूरी कर ली गई जबकि, इस कार्यक्रम की सूचना सभी नागरिकों को अप्रैल 2012 में दे दी गई थी। इस तथ्य को जन-सुनवाई के कार्यवृत[2] में अंतर्निहित किया गया, जिसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था ।

19 मई 2012 को पलामू जिले के सदर प्रखण्ड में आयोजित जन-सुनवाई में ग्रामीणों की असहभागिता दर्शाता चित्र

अत: लोगों के शिकायतों का निराकरण, शिकायतों के निष्पादन में विलम्ब एवं पर्याप्त व्यक्तियों के भाग नही लेने के कारण, नहीं हो सका।

10.1.4 नागरिक अधिकार पत्र

परिचालन मार्गदशिका 2008 के कंडिका 11.6 के अनुसार पंचायतों तथा अधिकारियों के कर्तव्यों के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श नागरिक अधिकार-पत्र अधिनियम के अधीन तैयार किया जाना था। नागरिक अधिकार-पत्र में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु विशिष्ट कदमों का वर्णन तथा इन प्रावधानों द्वारा प्रदत्त पंचायतों एवं संबंधित अधिकारियों का न्यूनतम सेवा स्तर, निर्धारित होना चाहिए था। परंतु विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार राज्य द्वारा नागरिक अधिकार-पत्र तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरुप

[2] पंचायत समिति सदर प्रखंड पलामू के प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर प्रखंड के संयुक्त हस्ताक्षर

विशेष कर्तव्यों एवं कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित किए बिना राज्य में मनरेगा योजना लागू कर दिया गया।

राज्य में नागरिक अधिकार पत्र नहीं तैयार किया गया था

निकास बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2012) तथा अपने अधिकारियों को नागरिक अधिकार-पत्र तैयार करने तथा कार्यालय के बेवसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

10.1.5 सामाजिक लेखापरीक्षा

परिचालन मार्गदर्शिका, 2008 के कंडिका 12.4 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम छः माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करना आवश्यक था।

2007-12 के दौरान 11,786 के विरूद्ध केवल 5,660 सामाजिक लेखापरीक्षा (48 प्रतिशत) आयोजित किये गये

हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये छः जिलों में निर्धारित 11,786 सामाजिक लेखापरीक्षाओं के विरुद्ध 2007-12 की अवधि में केवल 5,660 (48 प्रतिशत) आयोजित किये गये थे। नमूना जाँच किये गये छः जिलों में से चार[3] जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान 10,747 आपत्तियाँ उठाई गई जिनमे ₹ 47.43 लाख लिप्त थी, जिसके विरुद्ध 22 एफ.आई.आर. दर्ज किये गये तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की गई थी।

पश्चिमी सिंहभूम जिले में जुलाई एवं अगस्त 2009 के दौरान हुए सामाजिक लेखापरीक्षा में जाली मस्टर रोल तैयार करने एवं मजदूरी का भुगतान नहीं करने का आरोप विभिन्न अधिकारियों/कर्मियों[4] पर लगाया गया। जि.का.स. द्वारा गठित विशेष जाँच दल द्वारा, बाद में आरोप प्रमाणित हुए। अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत तीन दोषी कर्मियों पर ₹ 1,000 का अर्थदंड लगाया गया तथा संबंधित दो अधिकारियों के निलम्बन हेतु उनके नियंत्रक विभाग, कृषि एवं पंचायती राज, को अनुशंसा की गई। हालाँकि, जिला पदाधिकारियों के उदासीन प्रवृति के कारण दोषी अधिकारियों से न तो राशि की वसूली की गई और न ही संबंधित कर्मचारियों के निलम्बन हेतु संबंधित नियंत्रक विभाग को प्रपत्र K[5] उपलब्ध कराया गया।

उप-विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम ने उत्तर में कहा (अगस्त 2012) कि राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र K तैयार कर लिया जाएगा (जून 2012) ।

---

[3] दुमका, पाकुड़, पलामू, और पश्चिमी सिंहभूम

[4] 1- श्री स्वपन कुमार कर, कनीय अभियंता, जिला परिषद; 2- श्री आनंद किशोर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी झींकपानी; 3 - श्री सोना राम गोप, पंचायत सेवक, डोपई पंचायत खूँटपानी; 4 - श्री नागेन्द्र प्रसाद सिहं, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा; 5 श्री निरल मार्शल सोय, पंचायत सेवक, बारा गुंटिया, खुँटपानी; 6-श्री अभिमन्यु बारीक, पंचायत सेवक, खूँटपानी।

[5] प्रपत्र K आरोप पत्र तय करने के लिए बनाए गये है।

10.1.5.1 जिला आंतरिक लेखापरीक्षा कोषांग का गठन नहीं होना

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 की कंडिका 11.3.6 के अनुसार ग्राम-सभा द्वारा समाजिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों को कार्यान्वित करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में एक जिला आंतरिक लेखापरीक्षा कोषांग की स्थापना ग्राम-सभा के प्रतिवेदनों के संवीक्षा एवं यदि आवश्यकता हो, विशेष लेखापरीक्षा का आयोजन करने के लिए, की जानी थी।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना (जनवरी 2012) के अनुसार राज्य के किसी भी जिला में सामाजिक लेखापरीक्षा अभिलेखों के जाँच हेतु कोई आंतरिक कोषांग का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार, मार्गदर्शिका के प्रावधानों का अनुपालन नही किये जाने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा की भूमिका, निरंतर आम निगरानी तथा जबाबदेही एवं पारदर्शिता विश्वस्त करने के लिए, अपर्याप्त थी।

10.1.6 अक्रियाशील उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वयन समिति

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (फरवरी 2009) नें योजना का सम्पूर्ण अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण तथा ग्राम-सभाओं की सभी कार्यवाही के सामाजिक अंकेक्षण को सम्मिलित करते हुए विडियो दस्तावेजीकरण हेतु एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्यवन समिति का गठन करने के लिए निर्देश जारी किया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार (फरवरी 2009) के निर्देशानुसार जुलाई 2009[6] में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग, वित्त, कृषि एवं गन्ना, वन, मत्स्य, गृह, मानव संसाधन विकास, कल्याण, जनजातीय कल्याण विभागों के सचिवों, एस.एल.बी.सी. संयोजक एवं मुख्य महा-डाकपाल के सदस्यता वाली उच्च स्तरीय समन्वयन समिति का गठन किया गया। मनरेगा आयुक्त को इस समिति का संयोजक नामित किया गया।

2009-12 में उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वयन समिति के द्वारा कोई बैठक/जॉच नहीं किया गया

हाँलाकि, हमने पाया कि समिति द्वारा (मार्च 2012) कोई बैठक/जाँच आयोजित नहीं की गई, जिसके कारण अभिलिखित नहीं थे। इस प्रकार राज्य, योजनाओं के उच्च स्तरीय अनुश्रवण एवं जाँच से होने वाले पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के लाभ से वंचित रह गया जो कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषकर अन्य योजनाओं के अभिसरण के क्षेत्र में प्रभाव लाता।

निकास बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने 2009-12 के दौरान बैठक नहीं होने के तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2012) हालांकि उन्होने कहा कि मार्च 2012 के बाद एक बैठक हुई थी ।

[6] अधिसूचना संख्या 4903 दिनांक 1 जुलाई 2009

10.1.7 ग्रामसभा के कार्यवाही का वीडियो दस्तावेजीकरण

नमूना जाँच जिलों, प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के कार्यवाही की वीडियोग्राफी नहीं की गई

ग्रामीण विकास विभाग ने (फरवरी 2009) सामाजिक लेखापरीक्षा सहित ग्रामसभा का वीडियो दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर जोर देने हेतु निर्देश दिया। वीडियो फुटेज (टेप, सी.डी या अन्य माध्यम) की प्रतियों को समुचित तरीके से कूटबद्ध कर ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला योजना समिति स्तर पर रखना था। वीडियो फुटेज का प्रयोग ग्रामसभा के निर्णयों को नियमानुसार एवं उचित तरीके से लागू करना था।

हालांकि नमूना जाँच किये गये जिलों, प्रखण्डों एवं ग्राम पंचायतों के दस्तावेजों के संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम सभा की कार्यवाईयों की वीडियोग्राफी नही हुई जो कि योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

जिला कार्यक्रम समन्वयकों (पलामू, पाकुड़, दुमका, गुमला एवं प.सिंहभूम) ने निकास बैठक, जो जुलाई और अगस्त 2012 के बीच हुआ, में अंकेक्षण के अवलोकनों को स्वीकार किया।

10.1.8 अभिलेखों का अनियमित संधारण

10.1.8.1 अभिलेखों में विसंगतियाँ

उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउण्टेंट के अंकेक्षण प्रतिवेदन और एम.पी.आर.एस. के प्रारम्भिक शेष एवं अन्तिम शेष में भिन्नता थी

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 की कंडिका 11.3.4 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयकों को यह सुनिश्चित करना था कि चार्टर्ड एकाउण्टेंट की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दोनों मे प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष समान हो। यदि अपरिहार्य कारणों से कोई अन्तर हो तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को अभिलिखित प्रमाण के साथ स्पष्ट करके संतुष्ट करना चाहिए। अन्यथा ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले साल निधि विमुक्त करना बंद कर सकती है।

नमूना जाँच किये गए पाँच[7] जिलों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउण्टेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन की संवीक्षा में 2007-12 के दौरान प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष के बीच भिन्नता पायी गयी जिसका कोई स्पष्टीकरण अभिलिखित नहीं था ***(परिशिष्ट 10)***। इस प्रकार, लेखाओं के सामंजस्य के अभाव में जिलों में वित्तीय उत्तरदायित्वता तथा अभिलेखों की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

जिला कार्यक्रम समन्वयक ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2012) तथा कहा कि विषय वस्तु पर संबंधित चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा पुर्नविचार किया जा रहा है।

[7] दुमका, पलामू, पाकुड़, राँची और पश्चिमी सिंहभूम

10.1.9 अनुश्रवण सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)

10.1.9.1 अनुश्रवण सूचना प्रणाली में कमियाँ

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य एवं जिला स्तर परियोजना के भौतिक तथा वित्तीय पहलू को समेकित करने तथा डाटा इंट्री के लिए बेब आधारित अनुश्रवण सूचना प्रणाली-नरेगासॉफ्ट लागू किया। बड़ी एवं जटिल योजना के लिये एम.आई.एस. का उपयोग सिर्फ एक सहायक नहीं बल्कि मूल अभिलेखों में सृजित सूचना को संकलित करने के लिये एक मात्र उपाय थी । एम.आई.एस. का उपयोग लागू योजना का अनुश्रवण तथा संग्रहित सूचना के व्यापक प्रसार मे पारदर्शिता लाने के लिये एक उपकरण के रुप में करना था।

अनुश्रवण सूचना प्रणाली एवं एम.पी.आर. के बीच बड़ी संख्या में विसंगतियां पायी गई

ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार एम.आई.एस. में जो आंकडे अपलोड किये गये तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम.पी.आर.) में जो जानकारियाँ प्रेषित की गयी उनके बीच बहुत सारी विसंगतियॉ थी। ये विसंगतियॉ विभिन्न अभिलेखों/आँकड़ों जैसे निबंधित परिवारों की संख्या, निर्गत किये गये जॉब कार्ड की संख्या, रोजगार की माँग, रोजगार का प्रावधान, कार्यों की संख्या इत्यादि में पाई गई ***(परिशिष्ट 11)*** ।

10.2 मूल्यांकन

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 की कंडिका 10.4 के अनुसार मनरेगा का उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियों तथा जीविका के संसाधनों को मजबूत करना था। योजना के अन्तर्गत किये गये निवेश का आशय रोजगार उत्पन्न करने एवं क्रय शक्ति बढ़ाना, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन कर ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करना, विपदा पलायन को घटाना तथा प्राकृतिक संसाधनों के पुनरूत्पादन में योगदान देना था। अत: मूल्यांकन, योजना के परिणामों के आकलन हेतु आवश्यक है।

10.2.1 प्रभाव निर्धारण

राज्य स्तर पर रा.सु.रो.प. द्वारा योजना की उपलब्धि तथा प्रभाव आंकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गये

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के कंडिका 10.4 के अनुसार, राज्य सुनिश्चित रोजगार परिषद (रा.सु.रो.प.) को विख्यात अनुसंधान संस्थानों की सहायता से अपना मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना था और अन्य अभिकरणों द्वारा किये गये मूल्यांकन की समीक्षा करना था। राज्य सुनिश्चत रोजगार परिषद तथा जिला कार्यक्रम समन्वयकों को क्रमश: जिलावार अध्ययन तथा प्रखंडवार मूल्यांकन सुनिश्चित करना था। नरेगा योजना के विशिष्ट कार्यों के परिणाम का निर्धारण करने हेतु नियमित मूल्यांकन एवं नमूना सर्वेक्षण किया जाना था।

हालांकि हमने पाया कि राज्य स्तर पर रा.सु.रो.प. द्वारा योजनाओं की उपलब्धि तथा वैयक्तिक जीवन पर इनका प्रभाव ऑकने के लिये कोई कदम नहीं उठाये। नमूना जाँच जिलों में जुलाई 2012 तक कोई निर्धारण नहीं किया गया था।

निकास बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने कहा (जुलाई 2012) कि प्रभाव ऑकलन अध्ययन के लिये राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (रा.ग्रा.वि.सं.) को जिम्मेदारी दी गयी है।

10.2.2 त्रुटि संकेतो की संवेदनशीलता

प्रत्येक संगठन के पास त्रुटि संकेतों पर प्रतिक्रिया करने वाली प्रभावी तंत्र का होना आवश्यक है जो बार-बार हाने वाली अनियमितताओं को सुधार सके। हालाँकि हमने पाया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में ऐसा तंत्र अधिकांशत: अनुपस्थित था। नरेगा योजना के कार्यान्वयन पर 31 मार्च 2007 को समाप्ति वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 3.1 में विभिन्न अनियमितताएँ यथा मजदूरी का भुगतान नही होना, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नही होना, निधियों का विचलन, जॉब कार्ड एवं मस्टर रोल में अनियमितताएँ आदि इंगित किया गया था। हालांकि, विभाग द्वारा सुधारात्मक कदम नही उठाने से ऐसी अनियमितताएँ अभी तक कायम रह गई (जुलाई 2012)।

10.3 निष्कर्ष

कार्यों का निरीक्षण और सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति अपर्याप्त थी। राज्य एवं जिला स्तर पर रा.गु.अनु.एवं जि.गु.अनु. की नियुक्ति जुलाई 2012 तक नहीं की गयी थी। नागरिक अधिकार पत्र को तैयार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरुप राज्य में मनरेगा योजना का कार्यान्वयन बिना विशिष्ट कर्तव्य एवं समय सीमा के हुआ। उच्च स्तरीय समन्वयन समिति द्वारा कोई भी बैठक/निरीक्षण आयोजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, समिति के द्वारा निर्देशों एवं निरीक्षण के लाभों से राज्य वंचित हुआ। शिकायतों के धीमे निराकरण ने ग्रामीणों को अधिनियम द्वारा प्रदत संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया। एम.पी.आर. में प्रदर्शित और एम.आई.एस. में उपलब्ध आँकडों में विसंगतियाँ थी जिससे दी गई सूचनाओं को अविश्वसनीय बना दिया। त्रुटि संकेतों के विरुद्ध सुधार उपाय नहीं किये गये। मूल्यांकन प्रणाली एवं अनुश्रवण में कमी के कारण योजना के उदेश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

10.4 अनुशंसाएँ

- प्रत्येक स्तर पर योजनाओं के निरीक्षणों की आवश्यक संख्या को सुनिश्चित किया जाना चाहिए;
- राज्य एवं जिला गुणवत्ता अनुश्रवकों की नियुक्ति एवं सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यक संख्या सुनिश्चित की जानी चाहिए;
- अभिलेखों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए; और
- योजनाओं के कार्यान्वयन का स्वतंत्र मूल्यांकन, इसके प्रभावों/लाभों के आकलन हेतु किया जाना चाहिए।

राँची **(मृदुला सप्रू)**

दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**

दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**